बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0 ————————— पटना, दिनांक –

खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में चावल (सी0एम0आर0) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.06.2025 निर्धारित की गयी थी। उक्त तिथि तक अधिप्राप्त धान के समतुल्य पूर्ण मात्रा में चावल प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में कुल अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल प्राप्त करने की अवधि निम्न शर्तों पर दिनांक–10.08.2025 तक विस्तारित की गयी है :–

"State Government and FCI are requested to take necessary steps to check recycling of rice, if any. A system of monitoring may be instiuted at field level by FCI to monitor the delivery of balance CMR, mill wise as per planned schedule to be obtained from State Government Agencies in writing. Age test may also be conducted at the time of rice delivery as per the protocol to be devised by FCI."

2. भारत सरकार के पत्रांक–3(8)/2024-Py.I (387547) दिनांक–10.07.2025 द्वारा दी गयी अनुमति के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल प्राप्त किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक–15.06.2025 को दिनांक–10.08.2025 तक विस्तारित की जाती है ।

3. विस्तारित अवधि में प्राप्त किये जानेवाले चावल (सी0एम0आर0) की विशेष जाँच जिला प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के स्तर से करायी जाएगी ।

4. खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 हेतु निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 4500 दिनांक 09.10.2024 तथा विभागीय पत्र संख्या 4501 दिनांक 09.10.2024 द्वारा निर्गत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

E:/sec 10/OSD Cell letter

ज्ञापांक–प्र010– ख0वि0अधि0 –05 / 2024 1465 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियॉं विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –प्र010– ख0वि0अधि0 –05 / 2024– 1465 खाद्य, पटना / दिनांक–10/07/2025

प्रतिलिपि –सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति / मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010 / ख0वि0अधि0–05 / 2024– 1465 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–05 / 2024– 1465 खाद्य, पटना / दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।